

## \*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.10.2020 जनपद देवरिया\*

दिनांक 02.10.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

### \*01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-\*

➔थाना बरहज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.राधे निषाद पुत्र जमुना सा0 पुराना बरहज थाना बरहज, देवरिया** गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 लीटर अवैध नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.देवन्ती देवी पत्नी इरशाद सा0 डोमनपुरा थाना बघौचघाट, देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना मईल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.सोनू कुशवाहा पुत्र रामानुज सा0 बढया बुजुर्ग थाना कोतवाली, देवरिया** गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लीटर अवैध नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.गोविन्द रावत पुत्र राजेन्द्र सा0 शीतल माझा थाना एकौना, देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना खामपार पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त **01.रूदल कुमार पुत्र चुनेलाल 02.सत्येन्द्र कुमार पुत्र मनिस्टर प्रसाद सा0 कल्याणपुर थाना भोरे जिला गोपालगंज बिहार** गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10-10 लीटर कुल 20 लीटर अवैध नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.महेश चौहान पुत्र मदन सा0 बाकी थाना गौरीबाजार, देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.जावा उराव पुत्र बेलना उराव सा0 बडदायी थाना मंडार जनपद लोहरदगा, झारखण्ड** गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लीटर अवैध नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.नबी रसूल पुत्र स्व0 सदीक अंसारी सा0 बैकुण्ठपुर थाना कोतवाली, देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.सुकरमुनी कुमार पत्नी स्व0 बीरसा सा0 चैरया थाना चान्हो जिला रांची, झारखण्ड** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

### \*02. थाना गौरी बाजार पुलिस द्वारा चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-\*

दिनांक 02.10.2020 को थानाध्यक्ष गौरी बाजार के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर गौरी बाजार रामपुर चौराहा के पास से 01 व्यक्ति को 01 अदद चोरी का मोटर सायकिल नं0-यूपी-52-एपी-5988 हीरो कम्पनी के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम

पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.रितेश शाह पुत्र गोविन्द शाह सा0 विशुनपुरा बाजार थाना बघौचघाट, देवरिया बताया। तथा अभियुक्त द्वारा इससे पहले एक अन्य मोटर सायकिल नं0-यूपी-52-एडबलू-1288 हीरो डीलक्स कस्बा बैतालपुर से चोरी कर बेच दिया है जो मु0अ0सं0-141/19 थाना गौरीबाजार से सम्बन्धित है। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी से दिनांक 30.09.2020 को थाना कोतवाली जनपद देवरिया में मोटर साइकिल की चोरी सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 0710/2020 धारा 379 भादवि का अभियोग का सफल अनावरण किया गया था।

**\*03. थाना गौरी बाजार पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-\***

दिनांक 02.10.2020 को थानाध्यक्ष गौरी बाजार के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर बरारी मोड़ के पास से एक व्यक्ति को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.भोला प्रसाद पुत्र सुरेश प्रसाद सा0 हरिजन बस्ती, बरारी थाना गौरीबाजार, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

**\*04.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-\***

दिनांक 02.10.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 04 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है:

➔ **थाना-गौरीबाजार** मु0अ0सं0-141/2019 धारा-379/411 भादवि 01.रितेश शाह पुत्र गोविन्द शाह सा0 विशुनपुरा बाजार थाना बघौचघाट, देवरिया।

**\*05. निरोधात्मक कार्यवाही-\***

दिनांक 02.10.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➔ जनपदीय पुलिस द्वारा 16 सीआरपीसी के अन्तर्गत 36 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

➔ जनपदीय पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों के विरुद्ध 110जी के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

**\*06. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-\***

दिनांक 02.10.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➔ वाहन चेकिंग के दौरान 236 वाहनों से 208500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

